मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 963
02.12.2024 को उत्तर के लिए

वायु की गुणवत्ता में गिरावट

963. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :
डॉ. मोहम्मद जावेद :
श्री बैन्नी बेहनन :
डॉ. अमर सिंह :
श्री राजेश रंजन :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता में हाल ही में आई गिरावट की जानकारी है, विशेष रूप से पीएम 2.5 का स्तर जो प्रमुख मेट्रो क्षेत्रों में सुरक्षित सीमा से ऊपर चला गया है;

(ख) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) टियर-2 और टियर-3 शहरों, जहां विस्तृत निगरानी डेटा उपलब्ध नहीं है, में वायु गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक समय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सेटेलाइट डाटा इन्टरप्रीटेशन के लिए कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पीएम$_{2.5}$ स्तरों के संदर्भ में 454 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी की जाती है, जिनमें से 246 शहर वर्ष 2023 में पीएम$_{2.5}$ स्तरों के वार्षिक औसत के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

(ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर की स्वच्छ वायु संबंधी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (गुणवत्ता मानकों को पूर्ण न करने वाले शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। एनसीएपी के तहत वर्ष 2025-26 तक पीएम$_{10}$ के स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानक (60 माइक्रोग्राम/घन मीटर) के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएपी विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, सतत, नगर वन योजना के साथ-साथ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और नगर निगमों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से शहरी कार्य योजना (सीएपी) के कार्यान्वयन पर जोर देता है।

वर्ष 2023-24 में किए गए वार्षिक कार्य-निष्पादन आकलन के अनुसार, 130 शहरों में से 97 शहरों ने वर्ष 2017-18 के आधार-स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में पीएम$_{10}$ सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्शाया है। 55 शहरों ने वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2023-24 में पीएम$_{10}$के स्तर में 20% और उससे अधिक की कमी का लक्ष्य प्राप्त किया है। इसके अलावा, 18 शहर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विविक्ता कणों की सांद्रता के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

(ग) और (घ): वर्तमान में, 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के 550 शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए, 130 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए एनसीएपी के तहत शहरी कार्य योजनाएं तैयार की हैं। 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वायु गुणवत्ता में सुधार के संबंध में राज्य कार्य योजनाएं तैयार की हैं। इसके अलावा, भारत सरकार की कई योजनाएं/कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी परिवहन, पीएम ई-बस सेवा, सतत, नगर वन योजना, वाहन स्क्रैपिंग नीति, फेम II, समर्थ राष्ट्रीय बायोमास मिशन, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरे देश में लागू की गई हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान दे रही हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपाय **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता के उपग्रह आधारित अध्ययन के लिए 1,04,39,130/- रुपये आवंटित किए गए हैं।

******

अनुलग्नक-I

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

ii. निम्नलिखित के लिए हाल ही में उत्सर्जन मानक अधिसूचित/संशोधित किए गए :

- क. ताप विद्युत संयंत्र
- ख. डीजल/पेट्रोल/सीएनजी जनरेटर सेट
- ग. औद्योगिक बॉयलर
- घ. चूना भट्टियां
- ङ. ईंट भट्टे और उनका ज़िग-ज़ैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तन
- च. कैल्सीनेटेड पेटकोक उद्योग
- छ. हॉट मिक्स संयंत्र

iii. 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंड लागू करना।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम बनाना।

v. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का 100% उपयोग ।

vi. अपशिष्ट की श्रेणियों जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम शुरू किए गए।

vii. कचरा फैलाने की उच्च क्षमता और कम उपयोगिता वाले 12 चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं (एसयूपी) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया।

viii. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ ब्रिकेट्स) के साथ-साथ न्यूनतम 5% फसल अवशेषों के उपयोग का अधिवेश दिया गया।

ix. व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का सवेंदनशील और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीएएस/एसपीएएस) के रूप में सूचीकरण।

*****